


महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: 18075-177 दिनांक: 19.07.2023

आदेश

विषय:- कस्टडी प्रमाण पत्र

इस कार्यालय के जानकारी में लाया जा रहा है कि राजकीय अधिवक्ताओं द्वारा बंदियों के कस्टडी प्रमाण पत्र चाहे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। यह स्थिति आपत्तिजनक एवं अस्वीकार्य है। संभवतया प्रभारी, कारागृहों द्वारा इस संबंध में उपयुक्त पर्यवेक्षण का अभाव है।

समस्त प्रभारी, कारागृहों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में राजकीय अधिवक्ताओं, इत्यादि द्वारा कस्टडी प्रमाण पत्र चाहे जाने पर 24 घंटे के भीतर उपलब्ध करावें।


(भूपेन्द्र कुमार दक)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान

प्रतिलिपि:

1. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
3. समस्त प्रभारी, कारागृह/सुधारगृह/उपकारागह, राजस्थान।
4. अधीक्षक (मुख्यालय), महानिदेशालय कारागार, जयपुर।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान